आवक क्र. 1501/20
दि. 02/01/2021

प्रारूप क्रमांक ।

(देखिये नियम 3)

समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र

आवेदन क्रमांक : SS310307072522102020

अनुमोदन दिनाँक : 04 Dec 2020

समिति का पंजीयन क्र. 13830
समिति का पंजीयन दि 18/12/2020
असि रजिस्ट्रार

1.	सोसायटी का नाम श्री 108 समय सागर जी शिक्षा समिति रहली होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक मकान नम्बर 147 बाजार वार्ड 02 नदी रोड रहली तहसील रहली जिला सागर मध्य प्रदेश 470227 तहसील Rehali जिला Sagar मध्य प्रदेश में स्थित होगा। सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव) 8770691213 ईमेल आईडी jainnarendrajain@gmail.com
3.	सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-
1	शिक्षा समस्त प्रकार की शिक्षा स्कूल शिक्षा उच्च शिक्षा कालेज विश्वविद्यालय स्वस्थ्य शिक्षा चिकित्सा/सह चिकित्सा शिक्षा आई.टी.आई कम्प्यूटर जैसी तकनीकि शिक्षाओं का प्रचार प्रसार विकास एंव संचालन करना शासन व संबधित विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल गैर व्यवसायिक कॉलेज की स्थापना करना एंव उन्हें सुचारू रूप से चलाना शारीरिक शिक्षा खेल एंव स्वस्थ्य से संबधित कार्य करना कम्प्यूटर ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना कर प्रशिक्षण देना युवक युवकों को स्वरोजगार प्राप्त करने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण देना।
2	गरीब विकलांग असहाय एंव निर्धन बच्चों वृद्व व्यक्तियों एंव महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम खोलना और उन्हें शिक्षा भोजन एंव वस्त्र एंव रहने की उचित व्यवस्था करना और गॉव एंव शहर में खुले आगनवाडी केन्द्र से महिलाओं एंव बच्चों को लाभ दिलाना।
3	पर्यावरण सुधार के लिए वर्कशाप सेमिनार जागरूकता एंव अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना पर्यावरण सुरक्षा एंव पेयजल व्यवस्था करना जल संवर्धन का कार्य करना पर्यावरण हितेषी और सामाजिक उत्थान हेतु कार्य करना शहरी और ग्रामीण में वृक्षारोपण एंव पोधशाला स्थापना के लिए कार्य करना।
4	सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में मदद करना दहेज प्रथा स्त्री पुरुष असमानता नशाबंदी नशीले पदार्थो का प्रयोग बाल विवाह रोकना तथा सर्व समाज के गरीब बालक बालिकाओं के व परिचय सम्मेलन एंव विवाह सम्मेलन आयोजित कर उनका विवाह सम्पन्न करना।
5	हिन्दी अंग्रेजी उर्दू संस्कृत भाषा तथा भारतीय एंव कला का प्रचार प्रसार करना।
6	जनहितार्थ चिकित्सालय अनाथालय मूक बधिर विद्यालय विकलाग विद्यालय ब्लाइड स्कूल छात्रावास व्यायामशाला गौशाला विधवा आश्रम वृद्धाश्रम शिशु पालन गृह बालवाडी आगनवाडी महिलाओं एंव पुरुष के लिए शार्ट स्टे होम आदि की स्थापना व संचालन करना मे प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर संचालित किया जावेगा।
7	महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सिलाई कढाई बुनाई फेशन डिजाइन कला नृत्य गायन वादन ब्यूटी पार्लर मेहदी बुटिक कोच मोती की डिजाइन कसीदाकारी आदि कलाओं का प्रशिक्षण देना।
8	नारी सशक्तिकरण एंव बाल विकास कन्या भ्रूण सुरक्षा नारी स्वास्थ्य एंव नारी को आर्थिक या समाजिक स्तर पर द्रढता प्रदान हेतु शासकीय योजनाओं का लाभ नारी तक पहुचाना एंव नारी शिक्षा तथा रोजगार हेतु योजनाए बनाकर उनपर कार्य करना।
9	संस्था द्वारा महिलाओं के स्वरोजगार एंव उनके कल्याण हेतु प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन करने में शासन का सहयोग करना।
10	संस्था अनु/जाति जनजाति पिछडा वर्ग एंव अल्पसंख्यक वर्ग के लिये उनके शिक्षा स्वास्थ्य विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण और सामाजिक उत्थान के लिए राज्य केन्द्र अथवा गैर शासकीय संस्था अलावा विदेशी संस्थाओं से अनुदान लेकर कार्य करेगी।
4.	4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है:-